

प्ररूप 15
[देखिए नियम 60(2)]
गणना एजेंट की नियुक्ति
गुरुद्वारा समिति का निर्वाचन

सेवा में

रिटर्निंग अधिकारी

.....

मैं, पुत्र श्री समिति की सदस्यता के निर्वाचन में उम्मीदवार, इसके द्वारा, में मतों की गणना करने के लिए हाजिर होने हेतु मेरे गणना एजेंट के रूप में निम्नलिखित व्यक्तियों को नियुक्त करता हूँ :-

गणना एजेंट का नाम	गणना एजेंट का पता
1.	
2.	
3.	
इत्यादि	

हम ऐसे गणना एजेंटों के रूप में
कार्य करने के लिए सहमत हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

1.

2.

3.

इत्यादि

स्थान :

दिनांक :

गणना एजेंटों के हस्ताक्षर

मैं, पुत्र श्री की मेरी उपरोक्त नियुक्ति स्वीकृत करता हूँ।

स्थान :

दिनांक :

निर्वाचन एजेंट के हस्ताक्षर

अनुमोदित

रिटर्निंग अधिकारी के हस्ताक्षर

तथा मोहर

गणना एजेंटों की घोषणा

(रिटर्निंग अधिकारी के सम्मुख हस्ताक्षरित की जानी है)

मैं/हम, इसके द्वारा, घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निर्वाचन में हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 (2014 का 22) तथा हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) समिति (वार्ड परिसीमन तथा निर्वाचन) नियम, 2023, द्वारा निषिद्ध कोई बात नहीं करूंगा जोकि मैंने/हमने पढ़ ली है तथा हमें समझा दी गई है।

1.

2.

3.

इत्यादि

दिनांक :

गणना एजेंट(टों) के हस्ताक्षर

मेरे सम्मुख हस्ताक्षरित

दिनांक :

सहायक रिटर्निंग अधिकारी/रिटर्निंग अधिकारी